Research Ambition
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
Web: www.researchambition.com, Email: publish2017@gmail.com
Impact Factor: 3.071 (IIJIF)
ISSN: 2456-0146
Vol. 1, Issue-IV
Feb. 2017
e-ISJN: A4372-3068

महिला सशक्तीकरण से संम्बन्धित शासकीय नीतियों एवं कार्यक्रमों का आलोचनात्मक अध्ययन (मध्यप्रदेश प्रान्त के विशेष संदर्भ में)

पवन साहू
शोध छात्र– प्रौढ़ शिक्षा विभाग
डा0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, म0.प्र0.
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

हरिओम मद्धेशिया
शोध छात्र– प्रौढ़ शिक्षा विभाग
डा0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, म0.प्र0.
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

प्रस्तावना –

महिला समाज का मुख्य आधार है, भारतीय समाज में नारी को सदैव ही सर्वोच्च स्थान दिया जाता रहा है तथा उसे विभिन्न रूपों में स्वीकार किया गया है। नारी एक सनातन शक्ति है वह आदिकाल से अनेक सामाजिक दायित्वों को अपने कंधों पर उठाती रही है, इसके बावजूद इसे भारतीय समाज में लम्बे कालक्रम तक समाज के निचले क्रम पर रखा गया है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि भारतीय समाज में सदैव ही महिलाओं की सामाजिक स्थिति दोयम दर्जे की रही है। यदि इतिहास पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि पूर्व वैदिक काल में महिलायें पुरूषों के समान ही अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों से परिपूर्ण थी, वे स्वयं के एवं समाज के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक एवं क्रियाशील रही है, परन्तु शिक्षा की कमी से स्त्रियों का धार्मिक तथा सामाजिक स्तर क्रमशः निम्न होता चला गया।

मुगलकाल में नारी की स्वतंत्रता में अधिकाधिक नियंत्रण आरोपित किये गये और नारी की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया गया, अनेक अर्थों में महिला को पुरूषों की सम्पत्ति मान लिया गया। उसे इत्ने अधिक सामाजिक बंधनों में जकड़ दिया गया कि उसका स्वतन्त्र असतित्व समाप्त हो गया तथा उसका जीवन का दायरा केवल घर तक ही सीमित रह गया।

19वीं सदीं में प्रमुख समाज सुधारकों ने अपने सामाजिक, धार्मिक सुधार आदोंलनों को महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारनें पर केंन्द्रित किया, जिसके फलस्वरूप 1829 में सतीप्रथा उन्मूलन कानून, 1856 में विधवां पुनर्विवाह अधिनियम, 1870 में कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित अधिनियम, 1872 में विशेष विवाह अधिनियम पारित हुए। जिसके कारण महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में एक बड़ा सुधार आया, जिससे महिलायें न

Research Ambition ISSN: 2456-0146
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
Web: www.researchambition.com, Email: publish2017@gmail.com
Impact Factor: 3.071 (IIJIF)
Vol. 1, Issue-IV
Feb. 2017
e-ISJN: A4372-3068

केवल आर्थिक रूप से सबल हुई हैं बल्कि समाज का एक प्रमुख जागरूक अंग बनकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों के समक्ष चल पाने में समर्थ हो रही है।

सरकार के विभिन्न प्रयासों के बावजूद आज भी महिलाओं की स्थिति में सुधार तो जरूर हुआ है लेकिन अभी कहीं न कहीं कमी बाकी है क्योंकि आज के समय में प्रतिदिन होने वाली हिंसा की घटनाओं में, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की घटनाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। आज भी दहेज के लिए महिलाओं की हत्या, कन्या भ्रूण हत्या जैसी तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। जिसके कारण महिला पुरूष लिंगानुपात कम होता जा रहा है, महिलायें आज भी खुद को अकेले सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं।

सशक्तीकरण –

सशक्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत किसी वर्ग को शक्ति प्रदान करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। यह प्रयास व्यक्ति या वर्ग द्वारा ही नहीं अपितु सम्पूर्ण व्यवस्था द्वारा किया जाता है।

महिला सशक्तीकरण –

मैकाइवर के अनुसार "शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व है, महिला सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया से जुड़ा शब्द है जिसमें समाज महिलाओं को विभिन्न संस्थानों एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से शक्ति संचारण की प्रक्रिया को प्रारम्भ करता है"

महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य महिलाओं का समाज की सभी परिस्थितियों में अपनें अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना, साथ ही विभिन्न गतिविधियों में विभिन्न स्तरों पर उनकी सक्रिय सहभागिता एक बहुआयामी प्रक्रिया एवं अवधारणा है। क्योंकि यह महिलाओं के बहुआयामी रूप से सामर्थ्यवान होने को इंगित करता है, अर्थात महिलायें जब पारिवारिक परिस्थितियों एवं भूमिकाओं से लेकर समाज की विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी समितियों, संस्थाओं के बारें में न केवल जागरूक होती हैं, बल्कि उसमें सक्रिय सहभागिता निभाने में समर्थ होती हैं, तो यह प्रक्रिया ही महिला सशक्तीकरण है। अर्थात महिलाओं में इत्नी जागरूकता पैदा होना है, कि महिलाएं शक्ति को प्राप्त करें एवं उनमें सामाजिक, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण करनें की क्षमता का विकास हो, जिससे कि वे अपने जीवन को स्वयं निर्देशित कर सकें और घर के साथ साथ बाहर के निर्णयों में शामिल होने की क्षमता रख सकें।

Research Ambition
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
Web: www.researchambition.com, Email: publish2017@gmail.com
Impact Factor: 3.071 (IIJIF)
ISSN: 2456-0146
Vol. 1, Issue-IV
Feb. 2017
e-ISJN: A4372-3068

महिला सशक्तीकरण के प्रयास –

जब हम महिलाओं को सुदृढ़ एवं शक्ति सम्पन्न बनाने की बात करते हैं तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्यों हम महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, क्या महिलाएँ आज भी शक्तिहीन, निर्बल एवं असहाय हैं और यदि ऐसा है तो क्यों ? इसके उत्तर में जब हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो ज्ञात होता हैं कि पूर्ववैदिक काल के पश्चात समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति अतिनिम्न रही है। उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाये जाते रहे हैं, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था, पर्दाप्रथा एवं बाल विवाह में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा वे लम्बी अवधि तक दमित रही हैं। यहॉ तक कुछ सीमा तक आज भी ऐसे पहलुओं को देखा जा सकता है। लेकिन आज स्थिति उत्नी भयानक नहीं है क्योंकी महिलाओं को परिवार एवं समाज में सही स्थान दिलाने एवं उन्हें शक्ति सम्पन्न करने की दिशा में अनेक प्रयास किये गये। सरकार इस दिशा में गंभीर चिंतन कर कई योजनाओं के माध्यम से आवश्यक परिणाम प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

- स्वतन्त्रता से पूर्व महिला सशक्तीकरण हेतु किये गये प्रयास।
- स्वतन्त्रता के बाद महिला सशक्तीकरण हेतु किये गये प्रयास।
- वर्तमान में महिला सशक्तीकरण हेतु किये जा रहे प्रयास।

स्वतन्त्रता से पूर्व महिला सशक्तीकरण हेतु किये गये प्रयास –

विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार आन्दोलन के माध्यम से समाज सुधार की दिशा में अनेकों प्रयास किये गये।

ब्रह्म समाज द्वारा किये गये प्रयास –

इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा कलकत्ता में की गयी। इन्होंने हिंन्दू उत्तराधिकार कानून के तहत पुत्रियों का पैत्रिक सम्पत्ति का एक चौथाई भाग देने व एक पत्नी विवाह की बाध्यकारिता के विधान का सर्मथन किया, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का सर्मथन किया। वे सतीप्रथा को समाज का कलंक मानते थे जिसके विरूद्व उन्होंने 1829 में सतीप्रथा निषेध कानून पारित करवाया।

रामकृष्ण मिशन द्वारा किये गये प्रयास –

इसकी स्थापना 1897 में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानन्द द्वारा की गयी थी। इनका मानना था कि जो राष्ट्र महिलाओं का सम्मान नहीं करता वह कभी उन्नत नहीं कर सकता। इनका मत था कि "इस

Research Ambition ISSN: 2456-0146
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
Web: www.researchambition.com, Email: publish2017@gmail.com
Impact Factor: 3.071 (IIJIF)
Vol. 1, Issue-IV
Feb. 2017
e-ISJN: A4372-3068

देश में महिला और पुरूष में इतना अंतर क्यों समझा जाता है यह समझना कठिन है कि तुम लोग स्त्री की निंदा ही करते हो, उनकी उन्नति के लिए तुमने क्या किया, नारी का उत्थान न होने से क्या तुम्हारी उन्नति संभव है" उन्होंने महिलाओं को स्वाभाविक विकास के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही तथा महिलाओं की स्थिति सुधारने एवं उसमें शिक्षा एवं जागृति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।[1]

महात्मा गांधी ने कहा था कि "स्त्री को अबला कहना उसका अपमान करना है। स्त्री की अन्तः प्रज्ञा पुरूष की अपेक्षा अधिक बलवान है। वह जित्ना आत्मबलिदान कर सकती है, उत्ना पुरूष नहीं कर सकता है, माता के रूप में उसकी शक्ति अजेय है, सर्वोपरि है" गांधी जी ने बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दाप्रथा एवं सतीप्रथा का विरोध किया, वे विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे।[2]

स्वतन्त्रता के बाद महिला सशक्तीकरण हेतु किये गये प्रयास –

15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब सविंधान निर्माताओं ने सविंधान में विकास के सभी लक्ष्य निर्धारित करते हुए महिलाओं के उद्धार एवं उनकों समाज में विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए अनेक लक्ष्य निर्धारित किये गये। इसके लिए भारतीय सविंधान में अनेक प्रयास किये गये, क्योंकि स्वतन्त्रता के पूर्व भारतीय नारी को केवल कुछ ही अधिकार प्राप्तं थे।

भारतीय सविंधान के प्रावधान एवं अधिनियमों द्वारा प्रयास –

भारतीय सविंधान के भाग 3 के मूल अधिकारों एवं भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अर्न्तगत महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है, जो कि कानूनी रूप से महिलाओं को सबल एवं पुरूषों के समकक्ष बनाते हैं। अतः सविंधान में महिलाओं के लिए बनये गये कुछ महत्वपूर्ण उपबन्ध इस प्रकार हैं–

अनुच्छेद 14 – यह अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 15 – यह अनुच्छेद लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।

अनुच्छेद 16 – यह अनुच्छेद सरकारी नौकरियों में महिलाओं को पुरूषों के समान अवसर दिलाने का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 39– आजीविका के समान साधन तथा समान कार्यो के लिए समान वेतन का प्रावधान।

---

[1] स्रोत– आहूजा,ए.(1997).भारतीय चितंन का राजनीतिक इतिहास.नई दिल्ली,अग्रवाल पब्लिकेशन.।

[2] स्रोत–गुप्त,मैथलीशरण.(2013).लोकवाणी.इलाहाबाद,शारदा पब्लिकेशन।

Research Ambition
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
Web: www.researchambition.com, Email: publish2017@gmail.com
Impact Factor: 3.071 (IIJIF)
ISSN: 2456-0146
Vol. 1, Issue-IV
Feb. 2017
e-ISJN: A4372-3068

भारतीय सविंधान के ये अनुच्छेद महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। जिससे कि इनकी उपेक्षा न की जा सकें और महिलायें अपने विकास हेतु सभी अवसर प्राप्त कर सके।[3]

पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्रयास –

भारतीय सविंधान में महिलाओं को समाज में उचित स्थान एवं अधिकार दिलाने की प्रतिबद्धता विभिन्न अनुच्छेदों, अधिनियमों एवं कानूनों के माध्यम से व्यक्त की गई हैं। इसके अलावा योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के विकास पर जोर दिया गया। महिलाओं के लिए संसाधनों का वास्तविक आवंटन पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जारी हुआ।

1– पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–79) –

महिलाओं की आय व उनके संरक्षण को त्वरित गति से बढ़ाने हेतु महिलाओं के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया। उनके लिए कार्यात्मक साक्षारता के कार्यक्रम की सिफारिस की गई, जिससे बाल सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सुरक्षा, पोषण आदि के ज्ञान से महिलाओं को परिपूर्ण किया जाये। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भारत में महिलाओं की स्थिति की रिपोर्ट संसद में पेश किया जाना तथा अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दशक की घोषणा रही।[4]

2– सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–89) –

इस योजना में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं हेतु 27 लाभार्थी उन्मुख स्कीमों की संकल्पना शुरू की गयी थी।

3– आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) –

लैंगिक परिदृश्य और सामान्य विकासात्मक क्षेत्रों द्वारा महिलाओं के लिए पहली बार निधियों के एक निश्चित प्रवाह की बाध्यता जाहिर की गयी।

4– नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) –

---

[3] स्रोत– कष्यप,सुभाश.(2009).भारतीय संविधान.नईदिल्ली,अग्रवाल पब्लिकेशन।

[4] स्रोत– पंचवर्षीय योजना.(2002–2007).नई दिल्ली,योजना आयोग।

Research Ambition
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
Web: www.researchambition.com, Email: publish2017@gmail.com
Impact Factor: 3.071 (IIJIF)
ISSN: 2456-0146
Vol. 1, Issue-IV
Feb. 2017
e-ISJN: A4372-3068

इस योजना में महिला घटक योजना को एक प्रमुख कार्यनीति के रूप में अंगीकार किया गया तथा केन्द्र एवं राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गये कि महिलाओं से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में कम से कम 30 प्रतिशत निधियां लाभ निर्दिष्ट किये जायें जिससे महिला सशक्तीकरण को गति प्रदान की जा सके।

6– ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2012) –

इसके अर्न्तगत राष्ट्रीय पारिवारिक स्वस्थ्य सर्वेक्षण के तीसरे चरण के मुताबिक 15–49 वर्ष की 41 प्रतिशत महिलाएं औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं, जबकि इसी वर्ग के पुरूषों में यह 18 प्रतिशत है। इस मूलभूत अन्तर पर जोर देते हुए इस योजना में कहा गया कि यह आकड़ें लिंग सम्बंधी भेदभाव को प्रर्दशित करते हैं। अतः इस समस्यां से सम्बन्धित तीव्र केन्द्रीय प्रयास किये जायेंगे।

7– बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) –

इसके अर्न्तगत महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड के लिए 1000 करोड़ रू0 आवंटित किये गये हैं तथा इस फंड के इंतजाम के लिए उसके दायरे तय करने और उसे आवंटित करने की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सौपी गयी है। इस मंत्रालय को 200 करोड़ की राशि भी दी गयी है ताकि वह कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के मामले में सहायता प्रदान कर सके तथा इसके साथ साथ महिला बैंक बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया था जो कि भारत के मुम्बई में स्थापित किया जा चुका है।[5]

साहित्य सर्वेक्षण –

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु शोध छात्र द्वारा महिला सशक्तीकरण से सम्बन्धित विभिन्न शोध प्रबन्धों एवं शोध पत्रों का अध्ययन किया गया जो निम्नलिखित हैं।

भट्ट (2016) के अनुसार ग्रामीण महिला के सशक्तीकरण में अनेको कारक बाधक हैं, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक विद्यालय की कस्बों और गांवों से दूरी है। यदि वास्तव में महिला को सशक्त करना है तो उन्हें शिक्षित कर साक्षारता दर बढ़ानी होगी। उन्हें इस प्रकार से प्रशिक्षित करना होगा कि वे अपने अधिकारों को जान सकें और इस कार्य को शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ही संभव किया जा सकता है।

[5] स्रोत– सिंह,जे.,पी.(2013).समाजशास्त्र अवधारणायें एवं सिद्धांत. नईदिल्ली,अशोक के.घोस।

Research Ambition ISSN: 2456-0146
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
Web: www.researchambition.com, Email: publish2017@gmail.com
Impact Factor: 3.071 (IIJIF)
Vol. 1, Issue-IV Feb. 2017
e-ISJN: A4372-3068

रामचन्द्रन (2016) के अनुसार सार्थक उपलब्धता का अर्थ ऐसा सुरक्षित लैंगिक वर्ग आधारित स्थान प्रदान करता है जहॉ किसी को भेदभाव के डर के बगैर अपने सामाजिक समूह के अनुसार निर्मित अपने व्यक्तित्व को तलासने एवं अभिव्यक्त करने की आजादी मिल सके। स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ शिक्षक की उपलब्धता भी आवश्यक है। इस लिये लेखक ने शिक्षा की सार्थक उपलब्धता, भेदभाव से मुक्ति तथा ज्ञान के विकास में लैगिंक संवेदनशीलता को प्रमुख स्थान दिया। इन तीनों के द्वारा हम व्यपाक लैगिंक समानता एवं समाजिक न्याय की ओर बढ़ना आरंभ कर सकेंगे।

यादव (2016) के अनुसार आज भी हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा के प्रति विचार बड़े संकीर्ण पाये जाते हैं। इसलिये कम उम्र में शादी करना, परदा प्रथा तथा अन्धविश्वासों के कारण स्त्री शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिल सका है। हमारे समाज के अंतर्गत यह विचार धारा अब भी पाई जाती है कि लड़कियों को उच्च शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। स्त्री शिक्षा में एक बड़ी समस्या योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के आभाव का होना है।

आर्येन्दु (2016) के अनुसार सरकार नई नई योजनाओं के माध्यम से सबको जहॉ शिक्षा दिलाने के लिये आगे कदम बढ़ा रही है। वहीं पर मंहगी होती जा रही शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अनुदान और अन्य सुविधायें प्रदान कर लड़कों और लड़कियों को स्वावलम्बी बनाने और नैतिक धारा में लाने का काम भी कर रही है। प्राथमिक शिक्षा ही नहीं उच्च माध्यमिक शिक्षा भी लड़कियों के लिये पूरी तरह सुलभ बने इसके लिये सरकारी प्रयासों के अलावा व्यक्तिगत स्तर पर तथा गैर सरकारी प्रयासों को व्यवहारिकता के धरातल पर लाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की समस्याओं को देखने पर पता चलता है कि सबसे बड़ी समस्या धन की है। सरकार अन्य मदों की तुलना में शिक्षा पर व्यय बहुत कम करती है। ऐसे सैकड़ों विद्यालय हैं जो कागजों पर चल रहे हैं। पर्याप्त मात्रा मे विद्यालयों का न होना भी बड़ी समस्या है। सामाजिक समस्याओं जैसे लड़कियों के साथ छेड़छाड़, माता पिता द्वारा अधिक डाट फटकार के कारण भी लड़कियां पाठशाला जाने से कतराती हैं।

कुमार (2015) के अनुसार सामाजीकरण की प्रक्रिया में लड़के व लड़कियों को एकदम अलग तरीके से गढ़ती है। एक ही समाज का हिस्सा होने के बावजूद उनके जीवन के अनुभव भिन्न होते हैं। बचपन से शुरू हुई इस प्रक्रिया का असर उनके शैक्षिक अनुभवों पर भी होता है। यह लेख शिक्षा और समाज के द्वन्द की छानबीन करता है।

काग (2015) के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का आगे चलने वाला अबाध कम अब अधिक प्रतिस्पर्धापूर्ण हो गया है। आने वाले समय में पंचायती राज चुनावों में अधिक योग्य एवं व्यवस्था को समझने वाला महिला नेतृत्व

Research Ambition
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
Web: www.researchambition.com, Email: publish2017@gmail.com
Impact Factor: 3.071 (IIJIF)
ISSN: 2456-0146
Vol. 1, Issue-IV
Feb. 2017
e-ISJN: A4372-3068

उभरकर सामने आयेगा क्योंकी ग्रामीणों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अब पंचायती राज व्यवस्था पर आ गई है। महिलाओं का पंचायतों में प्रतिनिधित्व स्वस्थ्य लोकतांत्रिक परम्पराओं के मजबूतीकरण एवं अवसर की समानता जैसी अवधारणाओं को मूर्तिरूप देने में सहायक सिद्ध होगी।

प्रियंका (2015) के अनुसार टेलीविजन से महिलाओं में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को बदला है। टेलीविजन के कार्यक्रम महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति अवगत कराते हैं। टेलीविजन के कार्यक्रम को देखने से महिलाओं के आत्मविश्वास को बल मिला है, उनकी विचारधारा में परिवर्तन आया है साथ ही कुछ हद तक निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित हुई है।

कुमार (2015) के अनुसार शिक्षा एक ऐसा कारगर हथियार है जो सामाजिक विकास की गति को तेज करता है प्राथमिक शिक्षा पूरी शिक्षा की नींव है और इसकी उपलब्धता स्थानीय स्तर पर होती है। अतः यह जरूरी है कि प्रारंभिक शिक्षा की निगरानी एवं जरूरतों के प्रति स्थानीय प्रतिनिधि अधिक सजगता रखें। मध्यप्रदेश में सबसे पहले पंचायत चुनाव हुआ था, इसलिये बदलाव की बयार भी सबसे बेहतर यही दिख रही है। झाबुआ, सतना, होसंगावाद, हरदा सहित कई जिलों के कई पंचायतों की महिला संरपंचों एवं पंचो ने सामाजिक मुद्दे पर कार्य शुरू कर दिया है। खासतौर से शिक्षा के प्रति उनमें मुखरता आयी है। अंततः महिलाओं ने इस बात को समझना शुरू कर दिया है कि उनकी वास्तविक सशक्तिकरण के लिये शिक्षा एक कारगर हथियार है। शिक्षा को अपनी प्राथमिकता सूची में पहले स्थान पर रखने वाली सरपंचों एवं पंचों का स्पष्ट कहना है कि शिक्षा में ही गॉव का विकास निहित है।

जैन एवं सिंह (2014) के अनुसार कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय योजना सीमांत वर्ग की बालिकाओं के शैक्षिक सशक्तीकरण में एक वरदान साबित हो रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली सीमांत वर्ग की लड़कियॉ जो हाशिये पर धकेल दी गयी थीं, विद्यालय इनके मानसिक विकास के साथ साथ उनके आंतरिक एवं बाह्रय विकास पर भी बल दिया जा रहा है जरूरत है इसमें कुछ खामियों को दूर कर सुधार करने की।

चौरसिया (2013) के अनुसार जहॉ शिक्षा की समुचित सुविधायें तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, वहॉ महिलाओं के सशक्तीकरण की स्थिति में काफी सुधार है। महिलायें शिक्षा, समाज सेवा, राजनीति एवं प्रशासन में भी सहभागिता कर रही हैं। शिक्षित महिलायें अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक पाई गई तथा ग्रामीण क्षेत्र जहॉ शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है वहॉ महिला सशक्तीकरण की गति अभी भी धीमी है।

Research Ambition ISSN: 2456-0146
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
Web: www.researchambition.com, Email: publish2017@gmail.com
Impact Factor: 3.071 (IIJIF)
Vol. 1, Issue-IV Feb. 2017
e-ISJN: A4372-3068

चानना (2013) के अनुसार महिलाओं की शिक्षा के उद्देश्यों के पीछे समाजिक सोच मे लिंग संबंधी विचारधारा है। अतः महिलाओं की भूमिका और उपचारिक शिक्षा के कार्यों का सीमांकन करने वाले समाजिक प्रतिमान के मानदण्डों की गहन पड़ताल की आवश्यकता है। क्योंकि ये मानदण्ड लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों को अभी प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही केवल नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना ही काफी नहीं है। बल्कि विचारधारात्मक, संनरचनात्मक, और पारिवारिक बाधाओं को निस्क्रिय करने या दूर करने की रणनीतियॉ विकसित करना भी आवश्यक है, ताकि शैक्षणिक सुविधाओं का पूर्णरूपेण उपयोग किया जा सके।

सिंह (2012) के अनुसार समस्त उत्तरदाता शिक्षा के महत्व को समझते थे, किन्तु जब उन्हें क्रियात्मक कार्य के द्वारा प्राथमिक शिक्षा विषय की जानकारी, शिक्षा से सम्बन्धित योजनाओं, साक्षरता अभियान जागरूकता, प्रौढ़ शिक्षा जागरूकता की जानकारी दी गई तो उत्तरदाताओं में जागरूकता के स्तर में वृद्धि पाई गयी। अतः निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है।

देवगन एवं बघेल (2012) के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के सशक्तीकरण में सार्थक अन्तर पाया गया और उनके समायोजन में सार्थक अन्तर प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ अल्पसंख्यक वर्ग की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अन्तर पाया गया तथा अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के सशक्तीकरण, समायोजन एवं शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करने पर भी सार्थक अन्तर पाया गया। अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के सशक्तीकरण एवं समायोजन के मध्य पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध पाया गया, जबकि सशक्तीकरण एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य उच्च धनात्मक सहसबंध पाया गया।

मुनियादि एवं सिंह (2012) के अनुसार जनजातीय लोगों में महिला सशक्तीकरण के प्रतिनिधि सूचक जैसे शिक्षा, गैर कृषि सम्बन्धी क्षेत्रों में आर्थिक सहभागिता संचार माध्यमों से परिचय अपेक्षा अनुरूप नहीं है। अतः वे मुख्य रूप से बहिष्कृत रहते हैं एवं उनके स्वस्थ्य संबन्धी परिणाम अपेक्षा अनुरूप या उत्तम नहीं हैं। शिक्षा संचारी एवं असंचारी रोगों आदि से सम्बन्धित स्वास्थ्य संबधी जानकारियां महिलाओं को उनके स्वस्थ्य के समग्र विकास हेतु लाभ अर्जित करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करती हैं।

पाण्डेय (2010) के अनुसार सामाजिक क्षेत्र में स्त्री जाति समाजिक सुधार की आधारशिला होती है। वह परिवार का सृजन एवं निर्माण करने वाली होती हैं सबसे पहले नागरिकता की शिक्षा उसी के संरक्षण में मिलती हैं। यदि स्त्री शिक्षित नहीं होती तो वह परिवार मे रहकर नागरिकता का प्रसार करने का उत्तरदायित्व न्यायपूर्वक नहीं निभा सकती। इसीलिए स्त्री शिक्षा की आवश्यकता और महत्व का अनुभव किया जाता हैं। स्त्री बालक की सबसे

Research Ambition
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
Web: www.researchambition.com, Email: publish2017@gmail.com
Impact Factor: 3.071 (IIJIF)
ISSN: 2456-0146
Vol. 1, Issue-IV
Feb. 2017
e-ISJN: A4372-3068

पहली और महत्वपूर्ण शिक्षक होती है। यदि वह अशिक्षित हुयी तो बालक का शैक्षिक तथा सामाजिक विकास उपयुक्त रूप में नहीं हो सकता।

गुप्ता एवं गुप्ता (2009) के अनुसार शिक्षा के साथ ही सामाजिक सुधार की जो प्रक्रिया विकसित हो रही है वह अंधेरे में रोशनी के समान है। महिला बाल श्रमिक धीरे धीरे अपने आवरण से बाहर आ रही है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में वे न केवल सम्मिलित हो रही हैं अपितु नये कीर्तिमान भी स्थापित कर रही हैं। यदि इन बालिकाओं को पार्यप्त अवसर मिले तो ये और अधिक कुशलता व प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ सकती हैं।

सिंह (2008) के अनुसार बालिकाओं की शिक्षा के विकास में अनेक समस्यायें हैं किन्तु सबसे बड़ी और मूल भूत समस्या विद्यालयों का न होना ही है। पूर्वांचल में ब्लाक, तहसील, टाउन, ऐरिया, ग्राम सभा एवं जनसंख्या के आधार पर स्कूलों का वितरण नहीं है। न ही वर्तमान विद्यालयों तक यातायात की ऐसी सुविधा विकसित है जिससे भीतरी क्षेत्र की बालिकायें सहजता से इन विद्यालयों तक पहुँच सके, अतः बालिका शिक्षा के विकास के लिये जनसंख्या घनत्व को देखते हुये यह आवश्यक है कि पिछड़े तथा भीतरी क्षेत्रों में छोटे तथा बड़े आकार के बालिका विद्यालय खोले जाये जिनमें क्षेत्रीय आवश्यकताओं के बीच तादात्म स्थापित हो सकें।

अंसारी (2003) के अनुसार महिलाओं को सशक्त बनाने, सामाजिक विकास व न्याय देने हेतु सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग जनप्रतिनिधि शासक प्रशासक, जनसमुदाय, मीडिया को समस्याओं एवं समाधानार्थ व्यवहारिक सुझावों पर क्रियान्वयन करना होगा। तभी महिलाओं को सशक्त करने की बातें और क्रियान्वयन वर्ष 2002 सार्थक बनेगा।

उपाध्याय एवं दुबे (2000) के अनुसार वर्तमान भारतीय शिक्षित नारी का समाज एवं राष्ट्र की प्रगति में अनूठा योगदान है। शिक्षा, व्यवसाय, वाणिज्य, तकनीकी, ज्ञान विज्ञान, प्रशासन और अन्य क्षेत्रों मे नारी पहले की अपेक्षा निरंतर प्रगति कर रही है। नारी के बहुमूल्य योगदान को व्यपाक रूप में प्राप्त करने के लिये नारी शिक्षा नितान्त आवश्यक है। नारी में सबसे अधिक सृजन और निर्माण शक्ति होती है। शिक्षित नारी संतान को महानतम बनाने में सक्षम होती है। अशिक्षा से संस्कारों का परिमार्जन नहीं हो सकता। आज के संदर्भ में महिला शिक्षा अत्यन्त अनिवार्य हो गयी है। यदि हम अपनी संस्कृति की अक्षुण्यता को बनाये रखना चाहते हैं तथा सांस्कृतिक धरोहर को संजोयें रखना चाहते हैं, तो साथ ही देश का चहुँमुखी विकास चाहते हैं तो भारत की बेटी को शिक्षा उपलब्ध करानी होगी।

Research Ambition
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
Web: www.researchambition.com, Email: publish2017@gmail.com
Impact Factor: 3.071 (IIJIF)
ISSN: 2456-0146
Vol. 1, Issue-IV
Feb. 2017
e-ISJN: A4372-3068

तिवारी एंव तिवारी (2000) के अनुसार ग्रामीण समाज की यह मान्यता है कि स्त्री का कार्य क्षेत्र घर है, अतः उसे शिक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं लड़की के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण भी उसकी शिक्षा में बाधक है। समाज में आज भी स्त्रीयों को नौकरी करना तथा पुरूषों के समकक्ष उनके साथ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता इसलिये स्त्री शिक्षा का महत्व ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम है।

शोधविधि –

प्रस्तुत अध्ययन में जिसका प्रमुख उद्देश्य मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सशक्तीकरण की नीतियों एवं स्थिति को समझने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न महिला सशक्तीकरण योजनाओं से संबंधित कार्यक्रम जिसके लिए ऑकड़ों का चयन द्वितीयक ऑकड़ों के आधार पर किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन विश्लेशणात्मक एवं विवरणात्मक शोध विधि पर आधारित है।

उद्देश्य –

- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सशक्तीकरण की नीतियों को समझना।
- मध्यप्रदेश में महिला सशक्तीकरण की स्थिति को समझना।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय –

मध्यप्रदेश भारत देश के मध्य भाग में स्थित उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, उत्तर में उत्तरप्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से और पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ है। मध्यप्रदेश में मैदानी इलाके और पहाड़ दोनों शामिल हैं। यहॅा का औसतन तापमान 10–48 डिग्री तक होता है। यहॅा सालाना औसतन 1200 मिमी0 वर्षा होती है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसकी भौगोलिक स्थिति 22′42 डिग्री उत्तर और 72′54 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहां अधिकाधिक हिन्दी भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। इस राज्य में 50 जिले हैं। इसका क्षेत्रफल 308244 वर्ग किमी0 है। इस राज्य के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहॅा की मुख्य फसलें गेहॅू, छोला, सोघुम और तिलहन इत्यादि प्रमुख फसले हैं, तथा मुख्य व्यवसाय बीड़ी निर्माण, रेलवे इंजीनियरिंग के उद्योग हैं। राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 72626809 है, जिसमे पुरूषों 37612306 लगभग 51.79 प्रतिशत और महिला 35014503 लगभग 48.21 प्रतिशत हैं। राज्य का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 है तथा लिंगानुपात 931 है। यहॅा पुरूषों की साक्षरता दर 78.7 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 59.2 प्रतिशत है।

Research Ambition
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
Web: www.researchambition.com, Email: publish2017@gmail.com
Impact Factor: 3.071 (IIJIF)
ISSN: 2456-0146
Vol. 1, Issue-IV
Feb. 2017
e-ISJN: A4372-3068

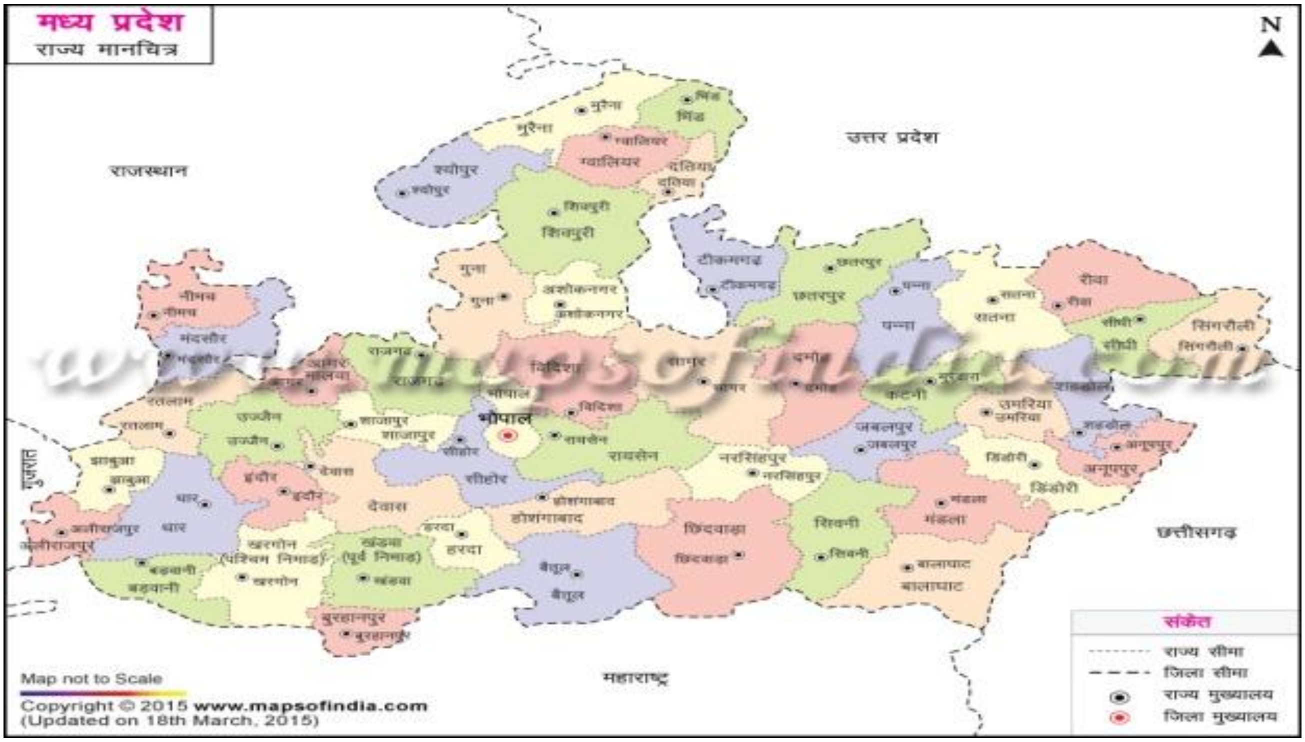

- स्रोत– http://www.mapsofworld.com/india/madhya-pradesh.htm, 13-05-16,21.20PM

अध्ययन की आवश्यकता –

महिला सशक्तीकरण से सम्बन्धित एनोनेटेट बिबलियोग्राफी करने के दौरान शोधकर्ता द्वारा विभिन्न शोध पत्रों और शोध प्रबन्धों का अध्ययन करने के दौरान पाया कि आजादी के 68 वर्षों के बाद भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के बावजूद महिलाओं की स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं आया है। जबकि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रत्येक स्थान पर एक समान रूप से किया जाता है, फिर भी महिलाओं की स्थिति सभी स्थानों पर एक समान क्यों नहीं है। इसी को जानने के लिए मेरे मन में मध्यप्रदेश में महिला सशक्तीकरण की स्थिति का अध्ययन करने का विचार आया।

अध्ययन क्षेत्र की सीमाएँ –

महिला सशक्तीकरण से सम्बन्धित शासकीय नीतियों एवं कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता के द्वारा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित बेटी बचाओ अभियान, अटल आरोग्य एवं पोषण मिशन, लाडली लक्ष्मी

Research Ambition
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
Web: www.researchambition.com, Email: publish2017@gmail.com
Impact Factor: 3.071 (IIJIF)
ISSN: 2456-0146
Vol. 1, Issue-IV
Feb. 2017
e-ISJN: A4372-3068

योजना, मंगल दिवस योजना एवं तेजस्वनी योजना का चयन किया गया और वर्ष 2010– 2015 तक की उपलब्धियों एवं आवंटित धनराशि का अध्ययन किया।

आकड़ों का संग्रहण –

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सशक्तीकरण से सम्बन्धित योजनायें निम्नलिखित हैं

		तलिका क्रमांक–01	
क्रम सं0	**शासन की योजनायें**	**उद्देश्य**	**क्रियान्वयन**
1	बेटी बचाओ अभियान	• लिंगानुपात में जारी गिरावट को रोकना। • लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करना।	01–10–2007
2	अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन	• शिशु मृत्यु दर कम करना। • कुपोषण को समाप्त करना।	02–10–2010
3	लाडली लक्ष्मी योजना	• बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोंच बढ़ाना। • लिंगानुपात में सुधार लाना। • शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाना। • स्वाथ्य स्तर में सुधार लाना।	01–04–2007
4	मंगल दिवस योजना	• किशोरी बालिका दिवस कार्यक्रम। • गोद भराई कार्यक्रम। • जन्मदिवस कार्यक्रम। • अन्नप्राशन कार्यक्रम।	2007–2008
5	तेजस्वनी कार्यक्रम	• स्वयं सहायता समूहों का विकास और वित्तीय सुधारों से जोड़ना। • समूहों को बेहतर आजीविका बनाने के लिए सशक्त करना।	2007
स्रोत–www.mpplanningcommission.gov.in/annual-plan.htm, 11-05-16,11.09AM			

Research Ambition ISSN: 2456-0146
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
Web: www.researchambition.com, Email: publish2017@gmail.com
Impact Factor: 3.071 (IIJIF)
Vol. 1, Issue-IV
Feb. 2017
e-ISJN: A4372-3068

तालिका कमांक– 02						
शासन की योजनाएं, बजट एवं लाभार्थियों की संख्या						
योजना का नाम	आवंटित धनराशि (करोड़ रू0 में)					कुल लाभार्थियों की सं0 (लाख में)
	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	
बेटी बचाओ अभियान	0.00	0.00	3.00	3.00	3.21	0.89
अटल आरोग्य एवं पोषण मिशन	85	89.03	90.09	90.09	91	46.87
लाडली लक्ष्मी योजना	700	703	899	850	900	13.76
मंगल दिवस योजना	17.98	18.78	21.42	21.42	21.43	29.43
तेजस्वनी योजना	8.98	9.24	9.99	17.69	18.54	46.50
स्रोत– www.mpplanningcommission.gov.in/annual-plan.htm, 11-05-16,11.09AM						

आकड़ों का विश्लेषण एवं निष्कर्ष –

तालिका कमांक–3		
1. बेटी बचाओ अभियान –		
वित्तीय वर्ष	आवंटित बजट (करोड़ रू0 में)	लाभार्थियों की सं0 (लाख में)
2010–15	**9.21**	**0.89**
स्रोत– www.mpplanningcommission.gov.in/annual-plan.htm, 11-05-16,11.09AM		

Research Ambition ISSN: 2456-0146
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
Web: www.researchambition.com, Email: publish2017@gmail.com
Impact Factor: 3.071 (IIJIF)
Vol. 1, Issue-IV
Feb. 2017
e-ISJN: A4372-3068

तालिका क्रमांक 3 में दिये गये आकड़ों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता हैं कि वर्ष 2010–2015 के मध्य बेटी बचाओ अभियान के तहत मध्यप्रदेश सरकार का कुल आवंटित बजट 9.21 करोड़ रू0 था जो कि अटल आरोग्य एवं पोषण मिशन की तुलना में 48.33 गुना, लाडली लक्ष्मी योजना की तुलना में 439.95 गुना, मंगल दिवस योजना की तुलना में 11.01 गुना, तेजस्वनी योजना की तुलना में 6.99 गुना कम है। इस योजना के तहत केवल 0.89 लाख लोग ही लाभान्वित हुये हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश का लिंगानुपात जो कि देश के लिंगानुपात की तुलना में 12 कम है जो कि तालिका 2 में दी गई योजनाओं की तुलना में बहुत कम है, अतः यह कहा जा सकता हैं कि सरकार महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के सबसे मुख्य योजना की अनदेखी है जिसके कारण प्रदेश का लिंगानुपात में कमी होती जा रही है।

तालिका क्रमांक–4

2. अटल आरोग्य एवं पोषण मिशन –

वित्तीय वर्ष	आवंटित बजट (करोड़ रू0 में)	लाभार्थियों की सं0 (लाख में)
2010–15	445.21	46.87

स्रोत– www.mpplanningcommission.gov.in/annual-plan.htm, 11-05-16,11.09AM

तालिका क्रमांक 4 में दियें गये आकड़ों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 2010–2015 के मध्य अटल आरोग्य एवं पोषण मिशन के तहत मध्यप्रदेश सरकार का कुल आवंटित बजट 445.21 करोड़ रू0 है जो कि लाडली लक्ष्मी योजना की तुलना में 9.10 गुना कम है। इस योजना के तहत 46.87 लाख लोंग लाभान्वित हुए हैं। यदि हम बजट की तुलना में लाभार्थियों की संख्या देखें तो यह बहुत ही कम है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश सरकार बालिकाओं के पोषण कार्यक्रम के प्रति गम्भीर नहीं है। सरकार की इस उपेक्षा के कारण महिलाओं को सशक्त होने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

तालिका क्रमांक–5

3. लाडली लक्ष्मी योजना –

वित्तीय वर्ष	आवंटित बजट (करोड़ रू0 में)	लाभार्थियों की सं0 (लाख में)
2010–15	4052	29.43

स्रोत– www.mpplanningcommission.gov.in/annual-plan.htm, 11-05-16,11.09AM

Research Ambition ISSN: 2456-0146
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
Web: www.researchambition.com, Email: publish2017@gmail.com
Impact Factor: 3.071 (IIJIF)
Vol. 1, Issue-IV
Feb. 2017
e-ISJN: A4372-3068

तालिका क्रमांक 5 में दिये गये आकड़ों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 2010–2015 के मध्य लाडली लक्ष्मी योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार का कुल आवंटित बजट 4052 करोड़ रू0 था, जो कि तालिका 2 में दी गयी अन्य महिला सशक्तीकरण की योजनाओं की तुलना में सर्वाधिक है। इस योजना की तुलना आवंटित बजट से करे तो यह संख्या 29.43 करोड़ ही हैं। अटल आरोग्य एवं पोषण मिशन की तुलना में इसका 9.21 गुना अधिक और लाभार्थियों की संख्या 1.57 गुना तक कम है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है की मध्यप्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के प्रति गम्भीर नहीं है।

तालिका क्रमांक–6		
4. मंगल दिवस योजना –		
वित्तीय वर्ष	आवंटित बजट (करोड़ रू0 में)	लाभार्थियों की सं0 (लाख में)
2010–15	101.43	29.43
स्रोत– www.mpplanningcommission.gov.in/annual-plan.htm, 11-05-16,11.09AM		

तालिका क्रमांक 6 में दिये गये आकड़ों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 2010–2015 के मंगल दिवस योजना कार्यक्रम के तहत मध्यप्रदेश सरकार का कुल आवंटित बजट 101.43 करोड़ रू0 था, जो कि लाडली लक्ष्मी योजना की तुलना में 39.94 गुना कम है जबकि दोनों ही योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या समान है और दोनों ही योजनायें वर्ष 2007 से लागू हुई थी। अतः उपरोक्त आकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण और उनके पोषण के प्रति गम्भीर नहीं है।

तालिका क्रमांक–7		
5. तेजस्वनी योजना –		
वित्तीय वर्ष	आवंटित बजट (करोड़ रू0 में)	लाभार्थियों की सं0 (लाख में)
2010–15	64.44	46.50
स्रोत– www.mpplanningcommission.gov.in/annual-plan.htm, 11-05-16,11.09AM		

तालिका क्रमांक 7 में दिये गये आकड़ों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 2010–2015 के तेजस्वनी योजना कार्यक्रम के तहत मध्यप्रदेश सरकार का कुल आवंटित बजट 64.44 करोड़ रू0 ही है। जिसके

Research Ambition ISSN: 2456-0146
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
Web: www.researchambition.com, Email: publish2017@gmail.com
Impact Factor: 3.071 (IIJIF)
Vol. 1, Issue-IV Feb. 2017
e-ISJN: A4372-3068

अर्न्तगत 46.50 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के तहत आवंटित बजट अटल आरोग्य पोषण मिशन की तुलना में 6.90 गुना कम, लाडली लक्ष्मी योजना की तुलना में 62.88 गुना कम है जबकि लाभार्थियों की संख्या 1.58 गुना अधिक है तथा मंगल दिवस योजना कार्यक्रम की तुलना में 1.57 गुना कम हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता हैं कि मध्यप्रदेश सरकार तालिक 2 में दी गई अन्य योजनाओं की तुलना में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को लेकर बिल्कुल भी गम्भीर नहीं हैं क्योंकि तेजस्वनी योजना महिलाओं के सशक्तीकरण की सबसे मुख्य योजना है, जिसके माध्यम से महिलाओं को समूह बनाकर उन्हें सशक्त किया जाता है।

सुझाव –

1. मध्यप्रदेश सरकार को महिला सशक्तीकरण से सम्बन्धित योजनाओं के लिए बजट को बढ़ाना तथा आवंटन ठीक ढ़ंग से करना चाहिए।
2. मध्यप्रदेश सरकार को महिला सशक्तीकरण से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सुदृढ़ एवं सार्थक कदम उठाना चाहिए।
3. ग्रामीण स्तर पर महिला सशक्तीकरण से सम्बन्धित योजनाओं के ठीक ढ़ंग क्रियान्वयन के लिए सामुदायिक भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए।
4. शासकीय कर्मचारियों को महिला सशक्तीकरण से सम्बन्धित योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के बारे में समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।
5. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को नुक्कड़ नाटक, प्रर्दशनी एवं जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा स्थानीय जनसमुदाय के लोगों में महिला सशक्तीकरण के प्रति लोंगों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

संदर्भ सूची –

1. आहूजा, ए.: भारतीय चितंन का राजनीतिक इतिहासः अग्रवाल पब्लिकेशन नई दिल्ली, (1997)।
2. आर्येन्दु, अखिलेशः शिक्षित बालिका से ही होगा सशक्त देश कुरूक्षेत्र, (2016) 03,15–18।
3. उपाध्याय, लक्ष्मी एवं दुबे, रीता (2000)ः शिक्षित नारी का समाज एवं राष्ट्र विकास मे योगदान, शिक्षा और समाज का प्रथम संस्करण, मध्यप्रदेश, बीनाः आदित्य पाब्लिसर्स।
4. अंसारी, नियाज (2003). महिला सशक्तीकरणः दशा और दिशा. नीति मार्ग, 4(24),15–18।
5. काग, सुरेश (2015). पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारीः एक विश्लेषण. शब्द ब्रहम, पीअर रीव्यूड जर्नल, 3(9),18–20।
6. कश्यप, सुभाष (2009)ः भारतीय संविधान नई दिल्ली, अग्रवाल पब्लिकेशन।
7. कुमार, कृष्णः लड़कियों का बचपन और उनकी शिक्षाः शिक्षा विमर्श, मार्च–अप्रैल 2015।
8. गुप्ता, अंचल एवं गुप्ता, विशेष (2009)ः महिला बाल श्रमिकों में बढ़ती हुई शिक्षा की भूमिका का समाजशात्रीय अध्ययन परिप्रेक्ष्य, 16(1), 59–68।
9. गुप्त, मैथलीशरण (2013)ः लोकवाणी इलाहाबाद, शारदा पब्लिकेशन 14–15।
10. चानना, करूणा (2013)ः भारत में प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक असमानता परिप्रेक्ष्य, 4(23), 46–60।
11. चौरसिया, माधुरी (2013)ः महिला सशक्तीकरण की दिशा में शिक्षा का अवदान (नीमच जिले के संदर्भ में). स्कूल शिक्षा, 34–36।
12. चक्रवर्ती, किरन शंकर. (2008). त्रिपुरा में महिलाओं की स्थिति और सशक्तिकरण, 15–17।

Research Ambition ISSN: 2456-0146
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)
Web: www.researchambition.com, Email: publish2017@gmail.com
Impact Factor: 3.071 (IIJIF)
Vol. 1, Issue-IV
Feb. 2017
e-ISJN: A4372-3068

13. जैन, अनिल कुमार एवं सिंह, रजनी रंजन. (2014). सीमान्त वर्ग की बालिकाओं के शैक्षिक सशक्तीकरण में कस्तूरबा गॉधीं बालिका विद्यालय की भूमिका का मूल्याकंन. परिप्रेक्ष्य, 21(2), 65–76।
14. तिवारी, रजनी एंव तिवारी, राधिकाचरण. (2000). स्त्री शिक्षा और समाज. शिक्षा और समाज, 1 (3), 7–13।
15. देसाई, ए. आर. (1977). भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक प्रष्ठभूमि, दिल्ली।
16. पाण्डेय, रामसकल. (2010). स्त्री शिक्षा. उदीमान भारतीय समाज मे शिक्षक. आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन।
17. देवगन, प्रवीन एवं बघेल, अंजू. (2012). अल्पसंख्यक वर्ग की क्षात्राओं के सशक्तीकरण के संबध में उनके समायोजन एवं शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन. परिप्रेक्ष्य, 19(2), 119–134।
18. प्रियंका. (2015). टेलीविजन एवं महिला सशक्तीकरण.शब्द ब्रहम, पीअर रीव्यूड जर्नल, 4(1), 2–5।
19. भट्ट, दीपेश कुमार. (2016). ग्रामीण महिला सशक्तीकरण में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका. (प्रौढ, सतत् एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुखपत्र). भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का मुखपत्र, 37(1), 5–9.
20. मुनियादि, एम. एवं सिंह, नीरू. (2012). स्वस्थ्य विकास हेतु जनजातीय महिलाओं का सशक्तीकरणः भारतीय परिप्रेक्ष्य. आदिवासी स्वास्थ्य पत्रिका, 18(3), 43–58।
21. यादव, दयाशंकर सिंह. (2016). भारत में शौक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों से महिला सशक्तिकरण, योजना, (1), 49–52।
22. रामचन्द्रन, विमला. (2016). महिला एवं बालिका शिक्षाः भारतीय परिदृश्य, योजना, (1), 10–15।
23. दुबे, श्यामचरण. (2001). भारतीय समाज नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली, 98–105।
24. सिंह, जे.,पी. (2013): समाजशास्त्र अवधारणायें एवं सिद्धांत. नई दिल्ली, अशोक के.घोस।
25. सिंह, गरिमा. (2008). उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में बालिका शिक्षा का विस्तार. परिप्रेक्ष्य, शैक्षिक योजना और प्रशासन का सामाजिक आर्थिक संदर्भ, 3(15), 14–21।
26. सिंह, शैलेन्द्र. (2012). महिलाओं का शिक्षा के द्वारा सशक्तिकरण शोध संचयन, 3(2), 1–7.
27. www.mpswc.nic.in/vad_suchi.html, 14-05-16,1.10PM.
28. http://www.census2011.co.in/census/state/madhya+pradesh.html, 14-05-16,11.28AM
29. http://www.mapsofworld.com/india/madhya-pradesh.htm, 13-05-16,21.20PM.
30. http://www.mpwcd.nic.in/documents/10192/9185784/prashaskiyaprativedan2013-2014.pdf, 11-05-16,10.15AM.
31. www.mpplanningcommission.gov.in/annual-plan.htm, 11-05-16,11.09AM
32. www.mponline.gov,11-05-16,10.29AM
33. www.mpinfo.org, 12-05-16,10.15AM
34. www.mp.gov.in, 11-05-16,02.45PM